रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2011/ज्येष्ठ 31, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 72
No. 105] DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2011/JYAISTHA 31, 1933 [N.C.T.D. No. 72

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2011

फा. सं. 3(11)/वित्त (राज.-1)/2011-12/डीएस II/313.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है ।

अतः, अब, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में, इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित—

(क) क्रम संख्या 48 की उप-प्रविष्टि (iii) के खंड (ख) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"हथकरघा फर्निशिंग को छोड़कर ऐसी फर्निशिंग जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति मीटर या प्रति पीस या प्रति सैट, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक हो ।"

(ख) क्रम संख्या 48 की उप-प्रविष्टि (iii) के खंड (ग) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"ऐसी सूटिंग जिसका बिक्री मूल्य 500/- रुपये प्रति मीटर से अधिक हो ।"

2. मूल अधिनियम के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 114 की उप-प्रविष्टि (ii) के खंड (ख) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"हथकरघा फर्निशिंग को छोड़कर ऐसी फर्निशिंग जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति मीटर या प्रति पीस या प्रति सैट, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक हो ।"

(ख) क्रम संख्या 114 की उप-प्रविष्टि (ii) के खंड (ग) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"ऐसी सूटिंग जिसका बिक्री मूल्य 500 रुपये प्रति मीटर से अधिक हो ।"

प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 48 तथा तृतीय अनुसूची के 114 पर संशोधित प्रविष्टियां तत्काल प्रभावी होंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविन्द जैन, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2011

F. No. 3(11)/Fin. (Rev.-I)/2011-12/DS II/313.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely :—

AMENDMENTS

(1) In the First Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) hereinafter referred as the "principal Act",

(a) for the commodity at clause (b) of sub-entry (iii) of Sl. No. 48, the following commodity shall be substituted, namely :—

"furnishings having sale price of more than Rs. 100 per meter or per piece or per set, as the case may be, other than handloom furnishings."

(b) for the commodity at clause (c) of sub-entry (iii) of Sl. No. 48, the following commodity shall be substituted, namely :—

"Suitings having sale price of more than Rs. 500 per meter."

(2) In the Third Schedule appended to the principal Act,

(a) for the commodity at clause (b) of sub-entry (ii) of Sl. No. 114, the following commodity shall be substituted, namely :—

"furnishings having sale price of more than Rs. 100 per meter or per piece or per set, as the case may be, other than handloom furnishings."

(b) for the commodity at clause (c) of sub-entry (ii) of Sl. No. 114, the following commodity shall be substituted, namely :—

"Suitings having sale price of more than Rs. 500 per meter."

The amended entries at serial No. 48 of the First Schedule and serial No. 114 of the Third Schedule shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ARVIND JAIN, Dy. Secy. (Finance)

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2011

फा. सं. 1(468)/99/स.प्र./स्थ./डीसी/पार्ट फा./824.— पूर्व अधिसूचना संख्या एफ. 1(468)/99/स.प्र./स्थ./डीसी/पार्ट फा./1609, दिनांक 24-11-2010 के अधिक्रमण में एवं वक्फ अधिनियम, 1995 (43 के 1995) की धारा 83 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सुश्री निवेदिता अनिल शर्मा, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी को वक्फ ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी प्रकार के विवाद, निर्णय प्रश्न और दूसरे अन्य मामले जो कि वक्फ सम्पत्ति से संबंधित हैं तथा वक्फ अधिनियम, 1995 और दिल्ली वक्फ नियम, 1997 के अन्तर्गत उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं।

सुश्री निवेदिता अनिल शर्मा, अपने कार्य के अतिरिक्त जो कार्य उन्हें प्रदान किया गया है इस ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। वह अपना वेतन न्यायिक सेवा में अपने वेतनमान पर ही प्राप्त करेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगर, अति. सचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2011

F. No. 1(468)/99/GA/Estt. /DC/Part File/ 824.—In supersession of the previous notification No.F.1(468)/99/GA/ Estt. /DC/Part File/1609, dated 24-11-2010 and in exercise of the powers conferred under Section 83(1) of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), and all other powers relevant enabling him in this regard, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints Ms. Nivedita Anil Sharma, an officer of Delhi Higher Judicial Service as the Presiding Officer of Wakf Tribunal, for the National Capital Territory of Delhi for the determination of any dispute, Question or other matters relating to Wakf or Wakf properties under the Wakf Act, 1995 and the Delhi Wakf Rules, 1997.

Ms. Nivedita Anil Sharma will work as Presiding Officer of this Tribunal in addition to the work already assigned to her. She will draw her salary in her own scale in the judicial Service.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territoy of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGER, Addl. Secy. (Revenue)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.